फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल दवे निवासी 168 / 3, शीतल नगर, बाणगंगा, इन्दौर मध्य प्रदेश

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 62 / 2024

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 28.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्रांक सू0अ0,05 /2024/720 दिनांक 12.08..2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के द्वारा दिनांक 12.07.2024 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया। प्रार्थी के द्वारा श्रीमान् के कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2024 तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय के पत्रांक 616–17 दिनांक 15.07.2024 से प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत दिनांक 12.07.2024 को प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र श्रीमान् को अग्रेषित किया गया व प्रार्थी को सूचनार्थ प्रति दी गई। तत्पश्चात् प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में श्रीमान् के पत्रांक 1278 दिनांक 19.07.2024 से इस कार्यालय में प्राप्त होने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही PLPC के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 नियत की गई है। प्रार्थी का अपील में वर्णित तथ्य मिथ्या है। इस कार्यालय में प्रार्थी का कोई आवेदन पत्र प्राप्त ही नही हुआ तो सूचना दिया जाना कैसे संभव होता। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2024 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया। प्रार्थी के द्वारा श्रीमान् के कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2024 तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय के पत्रांक	

न्यायालय जिला कलक्टर

616–17 दिनांक 15.07.2024 से प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत दिनांक 12.07.2024 को प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र श्रीमान् को अग्रेषित किया गया व प्रार्थी को सूचनार्थ प्रति दी गई। उपरोक्त विवेचानानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्री मैच्योर प्रकृति की होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद